# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर,झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी :– जगदीश प्रसाद गौड़
आर.ए.एस.

अपील संख्या :– 99/2022

श्री चैनाराम शर्मा पुत्र सूरजमल शर्मा, जाति ब्राहम्मण, निवासी मेहाड़ा गुजरवास, तहसील खेतड़ी, जिला झुंझुनू।

–अपीलांट

–बनाम–

राजस्थान सरकार, जरिये नायब तहसीलदार खेतड़ी,जिला झुंझुनू।

–रेस्पोडेंट

अपील खिलाफ निर्णय न्यायालय नायब तहसीलदार खेतड़ी
उनवानी सरकार बनाम चैनाराम शर्मा, अं0 धारा 91 एल.आर.एक्ट1956
मु0न0 03/2022 निर्णय दिनांक 06.10.2022

उपस्थितिः–

1 .श्री द्वारका प्रसाद वर्मा, एडवोकेट ––––––––––––अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री श्रवण कुमार सैनी, राजकीय अभिभाषक –––––रेस्पोडेन्ट की ओर से।

–निर्णय– दिनांक 31.03.2023

उक्त अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 06.10.2022 उनवानी प्रकरण सरकार बनाम चैनाराम शर्मा, मु0 नं0 03/2022 अंतर्गत धारा 91 एल. आर. एक्ट, 1956 न्यायालय नायब तहसीलदार खेतड़ी के विरूद्ध पेश की गई। संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार अंकित किये गये हैं कि – अपीलांट ने उक्त जमीन पर कोई अतिक्रमण नहीं किया है,बल्कि उक्त जमीन पर अपीलांट का पूर्वजों के समय से कब्जा सन् 1935–36 से पूर्व से चला आ रहा है,जिस पर अपीलांट ने अपने आवासीय मकान मय चारदिवारी बना रखे हैं तथा विधुत कनेक्शन ले रख है। उक्त जमीन न्यायालय तहसीलदार खेतड़ी द्वारा पत्रावली संख्या 280/1975 दिनांक 16.06.1975 के द्वारा नियमन की सिफारिश की गई है तथा उक्त जमीन बाबत मुकदमा उनवानी चैनाराम बनाम राज0 सरकार मु0नं0 4/2019 को माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 26.07.2019 में भी अपनीलांट का पुराना कब्जा माना है तथा पत्रावली को पुनः विचार करने का

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2023.08.04 11:00:48 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
झुन्झुनूं

आदेश पारित किया है, परन्तु योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्यों पर कोई गौर न कर आलौच्य निर्णय पारित करने में कानूनी भूल की है। राज्य सरकार के परिपत्रों के अनुसार चारागाह भूमि एवं गैर मु0 बनी की भूमि पर जिस व्यक्ति का दिनांक 01.01.1976 से पूर्व का कब्जा है, उन कब्जेधारी व्यक्तियों के हक में नियमन हुआ है। अपीलांट की उक्त कब्जेशुदा भूमि नियमन योग्य होते हुये अपीलांट को अतिक्रमी मानकर अधीनस्थ न्यायालय ने आलौच्य निर्णय पारित करने में भरी कानूनी भूल की है। योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी हल्का तथा अपीलान्ट के कोई बयान नहीं लिये। अधीनस्थ न्यायालय ने प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत की पालना नहीं की। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने न्यायिक विवेक का प्रयोग किये बिना ही निर्णय पारित किया है। पटवारी हल्का द्वारा जमीन रकबा 0.05 हैक्टर व 0.06 हैक्टर पर किस प्रकार नाप कर क्षेत्रफल दर्ज किया है, जो अस्पष्ट है, इस तथ्य पर अधीनस्थ न्यायालय ने कोई गौर न कर भारी कानूनी भूल की है, इसलिए योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय काबिले खारिज है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर न्यायालय नायब तहसीलदार खेतड़ी का निर्णय दिनांक 06.10.2022 निरस्त किये जाने का आदेश दिया जावे तथा उक्त जमीन अपीलांट के हक में नियमन की सिफारिश फरमायी जावे।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को तारीख पेशी की सूचना नकल अपील के साथ भेजकर दी गई। मिसल मातहत तलब की गई। मिसल मातहत प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

दौराने बहस वकील अपीलार्थी ने अपील अंकित तथ्यों को दौहराते हुए बताया कि– अपीलांट ने उक्त जमीन पर कोई अतिक्रमण नहीं किया है, बल्कि उक्त जमीन पर अपीलांट का पूर्वजों के समय से कब्जा सन् 1935–36 से पूर्व से चला आ रहा है, जिस पर अपीलांट ने अपने आवासीय मकान मय चारदिवारी बना रखे हैं तथा विधुत कनेक्शन ले रख है। उक्त जमीन न्यायालय तहसीलदार खेतड़ी द्वारा पत्रावली संख्या 280/1975 दिनांक 16.06.1975 के द्वारा नियमन की सिफारिश की गई है तथा उक्त जमीन बाबत मुकदमा उनवानी चैनाराम बनाम राज0 सरकार मु0नं0 4/2019 को माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 26.07.2019 में भी अपनीलांट का पुराना कब्जा माना है तथा पत्रावली को पुनः विचार करने का आदेश पारित किया है, परन्तु योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्यों पर कोई गौर न कर आलौच्य निर्णय पारित करने में कानूनी भूल की है। राज्य सरकार के परिपत्रों के अनुसार चारागाह भूमि एवं गैर मु0 बनी की भूमि पर जिस व्यक्ति का दिनांक 1.1.1976 से पूर्व का

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2023.08.04 11:00:48 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
झुन्झुनूं

कब्जा है, उन कब्जेधारी व्यक्तियों के हक में नियमन हुआ है। अपीलांट की उक्त कब्जेशुदा भूमि नियमन योग्य होते हुये अपीलांट को अतिक्रमी मानकर अधीनस्थ न्यायालय ने आलौच्य निर्णय पारित करने में भरी कानूनी भूल की है। योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी हल्का तथा अपीलान्ट के कोई बयान नहीं लिये। अधीनस्थ न्यायालय ने प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत की पालना नहीं की। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने न्यायिक विवेक का प्रयोग किये बिना ही निर्णय पारित किया है। पटवारी हल्का द्वारा जमीन रकबा 0.05 हैक्टर व 0.06 हैक्टर पर किस प्रकार नाप कर क्षेत्रफल दर्ज किया है, जो अस्पष्ट है, इस तथ्य पर अधीनस्थ न्यायालय ने कोई गौर न कर भारी कानूनी भूल की है, इसलिए योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय काबिले खारिज है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर न्यायालय नायब तहसीलदार खेतड़ी का निर्णय दिनांक 06.10.2022 निरस्त किये जाने का आदेश दिया जावे तथा उक्त जमीन अपीलांट के हक में नियमन की सिफारिश फरमायी जावे।

दौराने बहस पैरोकार सरकार ने बताया कि अपीलाट्स द्वारा राजकीय भूमि पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार खेतड़ी द्वारा विधिक प्रक्रिया के अन्तर्गत अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाकर निर्णय पारित किया गया है। पारित निर्णय में कोई विधिक त्रुटि नहीं है, अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। हस्तगत प्रकरण पूर्व में इस न्यायालय के अपील सं 04/2019 उनवानी चैनाराम बनाम राज0 सरकार के निर्णय दिनांक 26.07.2019 द्वारा प्रकरण तहसीलदार खेतड़ी को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया गया था कि विवादित भूमि का वे स्वयं मौका निरीक्षण करेंगे तथा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुये विवादित भूमि पर उनके पुराने कब्जे के संबंध में प्रस्तुत दस्तावेजात की पूर्ण विवेचना करते हुये विधिक प्रक्रिया के अंतर्गत गुणावगुण के आधार पर पुनः विधिसम्मत कार्यवाही करेंगे।

अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार खेतड़ी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 06.10.2022 के अवलोकन से स्पष्ट है कि उनके द्वारा ना तो विवादित भूमि का स्वयं के द्वारा मौका देखा गया है और ना ही पारित उक्त निर्णय में पुराने कब्जे के संबंध में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार पर प्रकरण नियमन योग्य क्यों नहीं पाया गया, इस संबंध में निर्णय में कोई विवेचना की गई है। निर्णय दिनांक 06.0.2022 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि हाजा न्यायालय द्वारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2023.08.04 11:00:48 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
झुन्झुनूं

निर्णय दिनांक 36.7.2019 के द्वारा प्रकरण को रिमाण्ड कर दिये गये निर्देशों को पढा तक नहीं होगा केवल साइकलोस्टाइल प्रारूप में निर्णय पारित किया है जो स्पीकिंग आर्डर में नहीं होने से निर्णय की तारीफ में नहीं आता। ऐसी स्थिति मे प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुये अपील अपीलांट स्वीकार किया जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार खेतड़ी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 06.10.2022 उनवानी सरकार बनाम चैनाराम शर्मा मु0नं0 03/2022 धारा 91 एल.आर.एक्ट निरस्त किया जाता है। प्रकरण नायब तहसीलदार खेतड़ी को पुनः इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि हाजा न्यायालय द्वारा पूर्व में पारित मु0 नं0 04/2019 निर्णय दिनांक 26.07.2019 में दिये गये निर्देशानुसार पुनः प्रकरण दर्ज कर विवादित भूमि का वे स्वयं मौका निरीक्षण करेंगे तथा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुये विवादित भूमि पर उनके पुराने कब्जे के संबंध में प्रस्तुत दस्तावेजात की राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में पूर्ण विवेचना करते हुये विधिक प्रक्रिया के अंतर्गत गुणावगुण के आधार पर पुनः विधिसम्मत कार्यवाही करें। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

(जगदीश प्रसाद गौड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू

निर्णय आज दिनांक 31.03.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय के मुद्रांकित खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जगदीश प्रसाद गौड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2023.08.04 11:00:48 IST
Reason: SelfAttested